राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 8/परीक्षा/मो.वा.उ.नि./परिवहन विभाग/2011–12 दिनांक : 05–12–2011

मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2011

1. राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के लिए मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के लिये निर्धारित **ऑन लाइन आवेदन–पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते हैं।**

विशेष नोट:–(1) **On line Application Form** में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. (क) आवेदन प्रक्रिया – आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हें **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा **रुपये 40/– (रुपये 35/–** आवेदन–पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह **ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र **रुपये 5/–** ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन–लाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 35/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। **हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

(ख) परीक्षा शुल्क का ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा के लिए ई–मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को यथावत उसी प्रकार से आयोग के ऑन–लाइन फार्म में भरें।

(ग) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है।

3. **प्रवेश–पत्र** – आयोग द्वारा समस्त ऑन–लाइन आवेदनों में वेब–साइट के माध्यम से ही ऑन लाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब–साइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब–साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेब–साइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन–पत्र क्रमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के **ई–मेल आई.डी. (e-mail ID)** एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।

4. **परीक्षा शुल्क** – आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से आयोग को भेजे :–

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रुपये 250/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– **रुपये 150/–**

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु– **रुपये 50/–**

नोट :–

(1) ऑन–लाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रुपये 40/– (रुपये 35/–** आवेदन–पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।

(2) ऑन–लाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑन–लाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

(3) आवेदक अपना ऑन–लाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं।

(4) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

5.

पद एवं विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	पदों का वर्गीकरण
मोटर वाहन उप निरीक्षक (**Motor Vehicle Sub-Inspector**), परिवहन विभाग	41	नोटः– शासन से आरक्षण की स्थिति प्राप्त होने पर यथासमय विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।

6. **शैक्षणिक योग्यता :**

(अ) (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और

(2) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त :– ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा(तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) **अथवा** यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा(तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) **अथवा** उपर्युक्त में से किसी विषय में कोई अर्हता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समतुल्य घोषित की गई हो; और

(3) किसी ख्याति प्राप्त ऑटोमोबाइल कार्यशाला, जिसमें पेट्रोल एवं डीजल इंजिन से युक्त हल्के मोटर वाहनों, भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों की मरम्मत की जाती हो, में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव; और

(4) उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए जो उसे मोटर साईकिल, भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों को चलाने के लिए अधिकृत करता हो। इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात उन व्यक्तियों पर जिनके नाम 01 जुलाई, 1989 से पूर्व मोटर गाड़ी निरीक्षक अथवा सहायक मोटर गाड़ी निरीक्षक (किसी भी नाम से जाने जाते हों) के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा के विचाराधीन थे अथवा उस अधिकारी पर जो 01 जुलाई, 1989 से पूर्व ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो अथवा उस अधिकारी पर जो किसी गैर तकनीकी प्रकृति के कृत्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया हो, लागू नहीं होगी।

(1) Must have passed Secondary Examination of a recognised Board; and

(2) A Diploma in Automobile Engineering. (3 years' course) or a diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Examination (3 years' course)

OR

Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent by the Central Government or State Government; and

क्रमशः.........

(3) Working experience of atleast one year in a reputed Automobile Workshop which undertakes repares of both light motor vehicles, heavy goods vechicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engines; and

(4) Must hold a driving Licence authorising him to drive Motor cycle, heavy goods vechicles and heavy passenger vechicles. Notihing contained in this Notification shall apply to persons whose names were under consideration for appointment to the post of Inspector of Motor Vehicles (by whatever names called) by the State Government prior to first day of July, 1989 or to an officer appointed to such post before the first day of July, 1989 or to an officer appointed to discharge functions of a non-technical nature.

(ब) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

निर्देश :–(1) मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षा में आवेदक को सभी प्रश्न पत्रों में बैठना अनिवार्य है। पाठ्यक्रमानुसार इस परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे। तीनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के होंगे। आयोग द्वारा उनके विवेक से निर्धारित अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा।

7. <u>शारीरिक सम्प्रयुक्तता (फिजीकल फिटनेस)</u> :– प्रत्येक उम्मीदवार को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। प्रत्येक पुरूष उम्मीदवार की ऊँचाई तथा सीने की परिधि निम्नलिखित से कम न हो :–

(1) ऊँचाई :– 168 सेमी.

(2) सीना बिना फुलाये 81 सेमी. तथा फुलाने पर 86 सेमी. से कम नहीं।

<u>नोट</u> :– (1) पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊँचाई 160 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीना बिना फुलाये 79 सेमी तथा फुलाने पर 84 सेमी से कम नहीं होना चाहिए।

(2) महिला उम्मीदवार की ऊँचाई एवं वजन क्रमशः 152 सेमी एवं 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए।

(3) ऊपर वर्णित शारीरिक सम्प्रयुक्तता के मापदण्डों के धारक राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों की ऊँचाई एवं सीने के माप में 5 सेमी तक छूट दी जा सकती है।

<u>आवश्यक नोट</u> :–

(1) आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं ड्राइविंग लाइसेन्स आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त कर लेना चाहिए।

(2) शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरान्त ही ख्याति प्राप्त कार्यशाला का वांछित एक वर्ष का अनुभव मान्य होगा।

8. <u>आयु</u> :– <u>आवेदक 1 जनवरी, 2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 37 वर्ष का नहीं हुआ हो लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :–</u>

1. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसारः–

''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।''

<u>स्पष्टीकरण</u> : **मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2008 के तहत नियमानुसार आयु की गणना दिनांक 01.01.2009 को आंकी गई थी, ऐसी स्थिति में अब उक्त परन्तुक के तहत 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।**

2. उच्चतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है।
3. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
4. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
5. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
6. भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
7. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
8. पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
9. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
10. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
11. सन् 1971 में हुये भारत–पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
12. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
13. That the upper age-limit mentioned above shall be relaxed up to 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation up to 5 years in the case of persons beloing to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
14. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय, चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
15. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
16. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए, परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

17. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी :–

1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
2 पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोट :– (1) उपरोक्त पैरा के प्रावधान 2 से 17 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) आयोग द्वारा विज्ञापित मोटर वाहन उप निरीक्षक के 41 पदों का वर्गवार (Category wise) आरक्षण शासन से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

9. आवेदन–पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक – अन्तिम दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करें।

10. परीक्षा का माह एवं दिनांक – परीक्षा माह जनवरी/फरवरी में अजमेर में ली जाने की संभावना है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है।

11. परीक्षा योजना :– Scheme of Examination & Syllabus for the post of Motor Vehicle Sub Inspector

1 A Candidate must appear in all the papers. There will be three papers of Objective Type unless otherwise Stated and a personality and viva-voce test. The name and the total marks and the time allowed for each paper will be as follows :-

Paper-I	General Knowledge and Everyday Science	100 Marks, 2 Hrs.
Paper-II	Language Test	100 Marks 2 Hrs.
Paper-III	Automobile and Mechanical Engineering	200 Marks 3 Hrs

2. Personality and Viva-Voce Examination :-

I Candidate who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for interview, which carries 50 Marks.
II The standard of the papers will be that of a secondary/Polytechnic Diploma.
III All papers unless specifically required, shall be answered either in English or in Hindi, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English unless specifically allowed to do so.
IV If a candidate's hand-writing is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.
V Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all descriptive papers of the examination.

3. Syllabus : Syllabus and scope of papers :- The Syllabus and Scope of papers will be issued in time.

विशेष सूचना :–

1 महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

A **स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

B **महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।**

2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष विछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है, से ही भरे जाएंगे । **राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।**

3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा । राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जायेगा ।

4 विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी** की जाती है तो जिसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

5 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिये निर्रहित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसकी सन्तानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती हैं वहाँ सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

6 **पेंशनः**– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा। प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। **पद का वेतनमान रनिंग पे बेण्ड सं. –1 (5200 – 20200 रू.) ग्रेड पे सं. 7 (रू. 2000) मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार।**

7 आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन–पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

8 परीक्षा के उपरान्त सफल आवेदकों से विस्तृत आवेदन–पत्र भरवाया जावेगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन–पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

9. विज्ञापित पदों में राजस्थान के अजा/अजजा के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अजा/अजजा के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। किन्हीं भी परिस्थितियों में, राजस्थान के अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा।

12. <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में</u> :– सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन–पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

13. <u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता</u> :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तानें हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

   परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिये निर्रहित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसकी सन्तानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है :

   परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती हैं वहाँ सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा ।

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

   स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन हेतु ''दहेज'' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है(सैन्ट्रल एक्ट 28 ऑफ 1961)
6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

14. <u>आवेदन कैसे करें</u> :–

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट :– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

<u>कृपया ध्यान दें</u> :–

1. ऑन लाइन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन–पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्त पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑन लाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं ऑन लाइन आवेदन–पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

3. आयोग कार्यालय द्वारा ऑन–लाइन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑन लाइन आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑन–लाइन आवेदन–पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।

4. आवेदकों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन मय पाठ्यक्रम के राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं आयोग की वेबसाईट **www.rpsc.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है ।

<u>विशेष टिप्पणी</u> :–

(1) **परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न–पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।**

(2) **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंन्सिल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।**

(3) **जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।**

(4) **उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।**

<u>नोट</u> :–

1. आवेदक जिनके आवेदन–पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते

समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

2. आवेदक राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
3. आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वैब–साइट **www.rpsc.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।
4. श्रुत लेखक की सुविधा :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है , उन्हें आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी।
5. अनुचित साधनों की रोकथाम :– परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर दी गई है।

15. <u>आयोग की वेबसाइट</u> :– उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट www.rpsc.gov.in **या** rpsconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145–5151200, 5151240 एवं 5151302 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर–305026 को सम्बोधित किया जाये ।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव